न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 11/2024(GCMS : 2024/220)

विमला देवी पत्नी स्व. लालचन्द सुथार उम्र 60 वर्ष निवासी गली नं. 07, चक 3 ई छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगनगर

बनाम

रोशनी देवी पत्नी स्व. सुनील कुमार जाति सुथार निवासी गली नं. 07 चक 3 ई छोटी, तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर **हाल कार्यालय** कमाण्डेट पीएमडीएस राजस्थान पुलिस, बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.12.2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रकरण संख्या 34/2024 पेश किया था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पोषण नहीं होने के कारण दिनांक 25.09.2024 को खारिज कर दिया था। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी दिनांक 24.12.2024 से लगातार कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है जबकि अपीलार्थी का दायित्व था कि वह समय समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण की कार्यवाही में बारे में जानकारी प्राप्त करती, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को विचाराधीन अपील में कोई रूचि नहीं है। अपीलार्थी लगभग गत 01 वर्ष से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही है। अपीलार्थी को बार–बार रूक रूक कर आवाज लगाई गई, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य हे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील भरण पोषण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील शामिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:43:59 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर